न्यूज़ टुडे

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी

- मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने **वर्ष 2024 तक चरणबद्ध** तरीके से सरकार द्वारा संचालित खाद्य योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी है। यह कदम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **पोषण की कमी की समस्या से निपटने** पर लक्षित है।
  - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति **निम्नलिखित योजनाओं के तहत की जाएगी:**
    - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA),**
    - **समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS),**
    - **प्रधान मंत्री पोषण योजना और**
    - **अन्य कल्याणकारी योजनाएं (OWS)।**
  - चावल के फोर्टिफिकेशन का **पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन** किया जाएगा।
- **इस योजना का पूर्ण कार्यान्वयन निम्नलिखित तीन चरणों में किया जाएगा**
  - चरण– I: मार्च, 2022 तक पूरे भारत में ICDS और प्रधान मंत्री पोषण योजना को कवर करना। इसका पहले से क्रियान्वयन किया जा रहा है।
  - चरण– II: इस चरण को मार्च 2023 तक पूरा किया जाना है। इसके तहत चरण–I की योजनाओं के साथ–साथ TPDS और OWS का सभी आकांक्षी एवं ठिगनेपन के अत्यधिक मामलों वाले जिलों (कुल 291 जिलों) में कार्यान्वयन किया जायेगा।
  - चरण– III: उपर्युक्त चरण–II के साथ–साथ मार्च 2024 तक देश के शेष जिलों को कवर किया जायेगा।
- चावल का फोर्टिफिकेशन पोषण आहार की आवश्यकता में सुधार पर लक्षित है। यह **खाद्य साधारण चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिश्रित करने की एक प्रक्रिया** है। आमतौर पर **आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड** जैसे पोषक तत्वों का समावेश किया जाता है।
- **चावल फोर्टिफिकेशन के लाभ**
  - अल्पपोषित और सुभेद्य आबादी के पोषण स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  - रक्त की कमी (एनीमिया) से निपटा जा सकेगा।
  - यह लागत प्रभावी भी है।
  - गर्भावस्था के दौरान बच्चे के विकास में सहायक है।

एक्सट्रूज़न तकनीक (extrusion technology)

- भारत में, चावल को **एक्सट्रूज़न तकनीक** का उपयोग करके फोर्टिफाइड किया जाता है।
- इस तकनीक में **पिसे हुए चावल को चूर्णित** किया जाता है एवं विटामिन और खनिजों वाले **पूर्व–मिश्रण के साथ मिलाया जाता है।**
- इस मिश्रण से एक एक्सट्रूडर मशीन का उपयोग करके **फोर्टिफाइड चावल के दाने (Fortified rice kernels: FRK)** तैयार किए जाते हैं।
- फोर्टिफाइड चावल के दानों को **पारंपरिक चावल में 1:50 से 1:200 के अनुपात में मिलाया जाता है।** इसके परिणामस्वरूप फोर्टिफाइड चावल सुगंध, स्वाद और बनावट में पारंपरिक चावल के लगभग समान हो जाते हैं।

ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022

- इस रिपोर्ट में तेजी से आपस में जुड़ रहे विश्व में पवन ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के समक्ष आ रही सभी चुनौतियों का परीक्षण किया गया है। इन चुनौतियों में **आपूर्ति श्रृंखला संबंधी भू–राजनीति, सामाजिक प्रभाव, दुष्प्रचार, साइबर सुरक्षा और क्रिप्टोकरेंसी** आदि शामिल हैं।
  - ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, **पवन ऊर्जा उद्योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन** है।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
  - वर्ष 2021 में, **वैश्विक स्तर पर** ग्लोबल विंड इंडस्ट्री ने **94 गीगावाट (GW) की पवन ऊर्जा क्षमता** को जोड़ा था। यह वर्ष 2020 की रिकॉर्ड वृद्धि से केवल 1.8% कम थी।
  - **तटवर्ती पवन ऊर्जा बाजार द्वारा वैश्विक स्तर पर 72.5 GW की क्षमता को जोड़ा** गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 18% कम है। इसका कारण चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विश्व के दो सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजारों में गिरावट थी।
  - ग्लोबल वार्मिंग **को 1.5°C तक सीमित रखने के लिए वर्ष 2030 तक वार्षिक पवन ऊर्जा संस्थापन को चार गुना बढ़ाने की आवश्यकता है।**
- **भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र के बारे में**
  - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने अनुमान लगाया है कि **वर्ष 2030 तक 140 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी। अपतटीय पवन ऊर्जा से 30 गीगावाट का लक्ष्य** निर्धारित किया गया है।
  - भारत में जनवरी 2022 तक **पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 40.1 गीगावाट** थी। इस मामले में भारत **वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर** है। वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में **पवन ऊर्जा का योगदान 10.2 प्रतिशत है।**
  - विश्व बैंक ने भारत के तटीय क्षेत्र में 174 GW स्थिर और तैरती अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का मानचित्रण किया है। **सर्वाधिक पवन ऊर्जा संसाधन** तमिलनाडु के अपतटीय क्षेत्र में मौजूद हैं। गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में बेहतर पवन ऊर्जा संसाधन उपलब्ध है।
  - **मिश्रित वित्त और ग्रीन/मसाला बॉण्ड** जैसी अभिनव वित्तपोषण व्यवस्था अपनाई गई है। इससे अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त की उपलब्धता को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

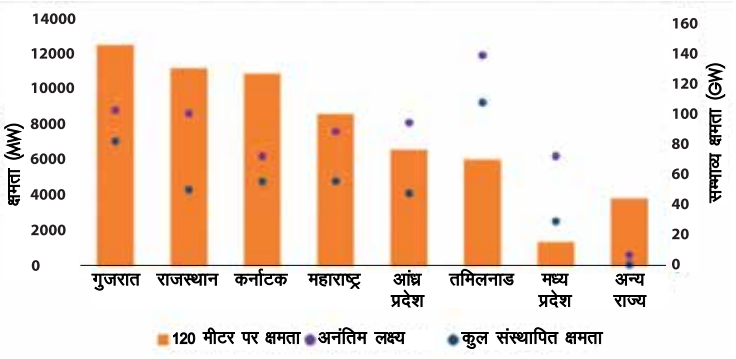

इंडोनेशिया ने पाम ऑयल निर्यात को सख्त किया, इससे वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है

- इंडोनेशिया विश्व में पाम ऑयल का **सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक** है। वर्तमान में यह घरेलू स्तर पर उत्पादन में कमी का सामना कर रहा है। इस कारण से मूल्य नियंत्रण के अलावा निर्यात पर भी अंकुश लगाया जा रहा है।
- **इंडोनेशिया में पाम ऑयल संकट हेतु उत्तरदायी कारण**
  - सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे अन्य प्रकार के खाद्य तेलों की आपूर्ति में बाधा आई है। यह बाधा **मानव जनित के साथ-साथ प्राकृतिक कारणों** से भी है।
  - **दक्षिण अमेरिका में शुष्क मौसम के कारण** सोयाबीन तेल **आपूर्ति संकट** का सामना कर रहा है।
  - **जैव-ईंधन के रूप में पाम ऑयल का उपयोग किया जा रहा है।** वर्ष 2020 से इंडोनेशिया ने डीजल के साथ पाम ऑयल का 30% मिश्रण अनिवार्य कर दिया है। ऐसा जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने की योजना के तहत किया गया है।
- भारत **विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है।** भारत प्रतिवर्ष 14-15 मिलियन टन वनस्पति तेल का आयात करता है। इसमें पाम ऑयल का हिस्सा 8-9 मिलियन टन है।
  - इंडोनेशिया पाम ऑयल का भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता रहा है। हालांकि, अब इसे **इंडोनेशिया से कम आपूर्ति प्राप्त होगी।**
  - इस कारण से **भारत को मलेशिया से अधिक पाम ऑयल आयात करना पड़ सकता है।**
- पाम ऑयल एक **खाद्य वनस्पति तेल** है। यह तेल पाम वृक्ष के फल से प्राप्त होता है। यह **अधिक उपज वाली फसल** है। यह किसी भी अन्य समान वनस्पति तेल फसल की तुलना में **प्रति भू-क्षेत्र में अधिक तेल का उत्पादन** करती है।
  - पूरे विश्व में वनस्पति तेलों का उत्पादन करने के लिए उपयोग की गयी भूमि में से केवल 6% से कम भूमि पर पाम वृक्ष लगाए गए हैं। परंतु, **विश्व में वनस्पति तेल की मांग की 40%** की पूर्ति इसी से होती है।
  - पाम ऑयल विश्व के सबसे अधिक जैव विविधता वाले **वनों की कटाई का भी कारण** रहा है।

पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम ऑयल मिशन (NMEO-OP): यह वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की एक पहल है।
- **केंद्र प्रायोजित पाम ऑयल विकास योजना** भी आरंभ की गयी है।

DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) तकनीक का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया

- SFDR एक **मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है।** इसमें एक कम धुंए वाला नोजल-लेस मिसाइल बूस्टर होता है। इसके साथ ही एक **थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट** भी होता है।
  - इसमें **ठोस ईंधन वाले एयर-ब्रीथिंग रैमजेट इंजन** का उपयोग किया गया है। ठोस प्रणोदक रॉकेट के विपरीत, रैमजेट उड़ान के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है। इस प्रकार, यह **वजन में हल्का** होता है और अपने साथ **अधिक ईंधन ले जा सकता है।**
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अनुसार, **SFDR-आधारित प्रणोदन द्वारा कोई मिसाइल सुपरसोनिक गति से बहुत लंबी दूरी पर हवाई खतरों को इंटरसेप्ट कर सकती है।** SFDR **लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित करने में मदद** करता है।
- **रैमजेट एक प्रकार का एयर-ब्रीथिंग जेट इंजन** है। यह बिना घूमने वाले कंप्रेसर का उपयोग करके सामने से आ रही हवा को दहन के लिए संपीडित करने हेतु यान के फॉरवर्ड मोशन का उपयोग करता है।
  - रैमजेट, **सुपरसोनिक गति अर्थात लगभग मैक 3 (ध्वनि की गति से तीन गुना) पर सबसे अधिक कुशलता से कार्य करता है।** उल्लेखनीय है कि यह मैक 6 की गति तक कार्य कर सकता है।
  - हालांकि, रैमजेट की दक्षता **हाइपरसोनिक गति पर कम होने लगती है।**

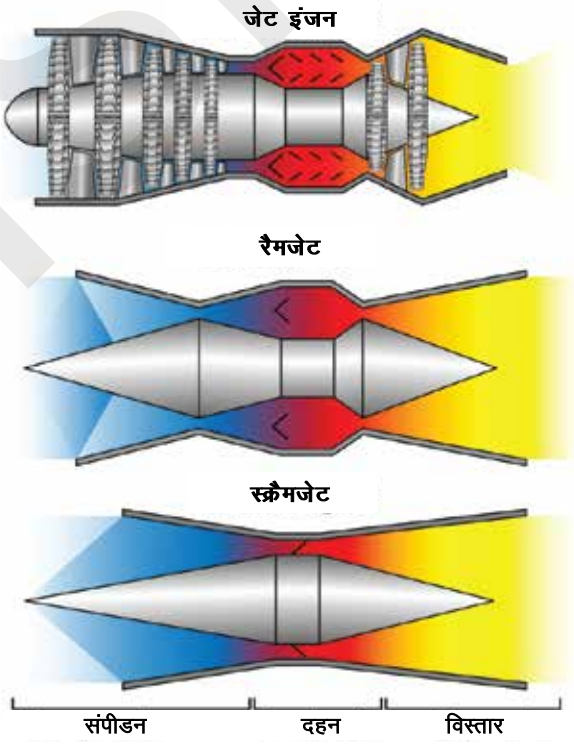

- **अन्य प्रकार की एयर-ब्रीथिंग प्रणालियां**
  - **स्क्रैमजेट (सुपरसोनिक कम्बशन रैमजेट) इंजन:** यह रैमजेट इंजन का सुधरा हुआ रूप है। यह हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक संचालित होता है। इसमें सुपरसोनिक दहन की क्षमता भी है।
  - **डुअल-मोड रैमजेट (DMRJ):** यह एक प्रकार का जेट इंजन है। इसमें एक रैमजेट मैक 4-8 की रेंज पर एक स्क्रैमजेट में रूपांतरित हो जाता है। इसका अर्थ है कि यह सबसोनिक और सुपरसोनिक दहनशील मोड, दोनों में कुशलता से परिचालन कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद गैर सरकारी संगठनों (NGOs) को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोक सकती है

- न्यायालय ने कहा है कि **किसी को भी विदेशी अंशदान प्राप्त करने का मौलिक या पूर्ण अधिकार नहीं** है। न्यायालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, (FCRA) 2010 में संशोधन को भी उचित घोषित किया है।
- **न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां भी की हैं:**
  - एक **संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र** इस आधार पर **विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र है, कि यह अंशदान राष्ट्र की संवैधानिक नैतिकता को कमजोर कर रहा है।**
  - विदेशी अंशदान का **देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना और राजनीतिक मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव** पड़ सकता है।
  - विदेशी सहायता का अर्थ एक विदेशी अंशदानदाता की उपस्थिति से भी है, जो देश की नीतियों को प्रभावित कर सकता है।
  - विदेशी अंशदान **राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित कर सकता है। इस कारण इसे न्यूनतम स्तर पर होना चाहिए।**
- इससे पहले संसद ने **FCRA, 2010 में संशोधन** किया था। यह व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों द्वारा **विदेशी अंशदान की स्वीकृति एवं उपयोग को विनियमित** करता है। FCRA में जो हाल ही में संशोधन किये गए हैं, **वे निम्नलिखित हैं:**
  - पंजीकरण के लिए गैर-सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा **आधार संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**
  - **सभी विदेशी अंशदान नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की मुख्य शाखा** में खोले गए बैंक खाते में प्राप्त किए जायेंगे।
  - **कुछ व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के विदेशी अंशदान को स्वीकार करने की मनाही है। ये व्यक्ति निम्नलिखित हैं:**
    - चुनाव प्रत्याशी,
    - किसी समाचार-पत्र के संपादक या प्रकाशक,
    - न्यायाधीश,
    - सरकारी कर्मचारी,
    - किसी भी विधायिका के सदस्य,
    - राजनीतिक दल आदि।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit facility:SDF) शुरू करने की घोषणा की है

- RBI ने **नई मौद्रिक नीति** के तहत स्थायी जमा सुविधा (SDF) की शुरुआत की घोषणा की है। SDF, **बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष तरलता (जमा) को कम करने के लिए** एक बुनियादी उपाय होगा।
  - इससे पहले, **कोविड महामारी के दौरान तरलता उपायों** की घोषणा की गयी थी। RBI ने अर्थव्यवस्था में कई अन्य साधनों से तरलता का समावेश किया था। इन कारणों से **भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिशेष तरलता** की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- जब तरलता अधिशेष में हो (जैसा कि अभी है) तब RBI **रिवर्स रेपो उपाय के माध्यम से तरलता को कम करता है।**
  - हालांकि, रिवर्स रेपो का तरीका जमानती (collateralised) विकल्प है। इसलिए, जब कोई बैंक अपना धन RBI के पास रखता है, तब उसे इसके बदले में RBI से प्रतिभूतियां (सिक्योरिटीज) प्राप्त होती हैं। हालांकि, **अभी अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में अधिशेष तरलता** है, परंतु RBI के पास **बैंकों को देने के लिए उतनी अधिक प्रतिभूतियां नहीं** है।
  - इसलिए, सरकार ने SDF को **गैर–जमानती उपाय** के रूप में शुरू किया है। इसलिए, RBI अब प्रतिभूतियों को दिए बिना अधिशेष तरलता को कम कर सकता है।
- SDF उपाय को वर्ष 2018 में RBI अधिनियम में संशोधन के माध्यम से लाया गया था। यह **उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों पर** आधारित है। यह उपाय **RBI को जमानत दिए बिना वाणिज्यिक बैंकों से तरलता प्राप्त करने की अनुमति देता है।**
  - SDF दर, तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility: LAF) कॉरिडोर के लिए नई न्यूनतम दर (floor rate) होगी। यह निश्चित दर रिवर्स रेपो की जगह लेगी।
  - LAF एक **मौद्रिक नीति उपाय** है। यह बैंकों को **पुनर्खरीद समझौतों या रेपो के माध्यम** से धन उधार लेने की अनुमति देता है।
  - **LAF में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागी SDF** योजना में भाग लेने के पात्र होंगे।

प्रमुख शब्दावली

- रेपो दर वह ब्याज दर है, जिसे RBI उधार लेने वाले वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त करता है।
- रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है, जिसका RBI वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है, जब ये बैंक RBI में अपनी अतिरिक्त नकदी जमा कराते हैं। RBI इस धन का एक हिस्सा निश्चित दर पर और कुछ परिवर्तनीय दर पर उधार लेता है।

अन्य सुर्खियाँ

अटल नवाचार मिशन (AIM)

- मंत्रिमंडल ने AIM को मार्च 2023 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।
- AIM (नीति आयोग के तहत) देश भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बनाने एवं बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है।
- **AIM के तहत निर्धारित लक्ष्य:** अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज के माध्यम से 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, 101 अटल इन्क्यूबेशन सेंटर, 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और 200 स्टार्टअप स्थापित करना है।
- **उद्देश्य:**
  - अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए **नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना,**
  - विभिन्न हितधारकों के लिए **सहयोग के अवसर प्रदान करना,**
  - **नवाचार और उद्यमिता तंत्र की देखरेख के लिए एक छत्र संरचना** सृजित करना आदि।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- SCO की वर्चुअल बैठक में, भारत ने SCO के देशों से समान चुनौतियों के लिए **किफायती वैज्ञानिक समाधान खोजने हेतु मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है।**
- **SCO (मुख्यालय–बीजिंग) के बारे में**
  - इसे वर्ष 2001 में शंघाई में स्थापित किया गया था। यह **एक स्थायी अंतर–सरकारी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।**
  - इसकी शुरुआत वर्ष 1996 के **शंघाई फाइव** (चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस व ताजिकिस्तान) समूह से हुई थी।
  - **उज्बेकिस्तान (2001 में शामिल हुआ), भारत (2017) और पाकिस्तान (2017) SCO** के अन्य सदस्य राष्ट्र हैं।
  - SCO की संरचना 2 स्थायी निकायों पर आधारित है–
    - **क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।**
    - SCO की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था **राष्ट्र प्रमुखों की परिषद** है।

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का खाद्य मूल्य सूचकांक (FFPI)

- FFPI **खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन** की माप प्रदर्शित करता है।
  - इसका आधार वर्ष **2014–2016** है। इसमें **पांच कमोडिटी समूह** (अनाज, चीनी, मांस, वनस्पति तेल और डेयरी) के **मूल्य सूचकांकों** का औसत शामिल है। इस औसत में प्रत्येक समूह के **औसत निर्यात हिस्सों का भारांश दिया गया है।**
- FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह **विश्व से भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।**

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर के लिए टास्क फोर्स

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने AVCG संवर्धन टास्क फोर्स का गठन किया है।
- **टास्क फोर्स निम्नलिखित कार्य करेगी:**
  - एक **राष्ट्रीय AVCG नीति तैयार करेगी;**
  - AVCG से संबंधित क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए **राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की सिफारिश करेगी;**
  - **कौशल निर्माण पहलों की सुविधा प्रदान करेगी आदि।**
- भारत AVCG क्षेत्र में लगभग 25–30% की वार्षिक वृद्धि हासिल कर सकता है। साथ ही, यह इस क्षेत्र में वार्षिक नई नौकरियां सृजित करने में भी सक्षम है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 तक वैश्विक बाजार की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी (लगभग 40 बिलियन डॉलर) हासिल करने की भी क्षमता रखता है।

क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा (अवसर/AVSAR) योजना {Airport as Venue for Skilled Artisans Of The Region (AVSAR) scheme}	○ हाल ही में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने अवसर/AVSAR योजना शुरू की है। ○ AAI ने अपने हवाई अड्डों पर स्वयं सहायता समूहों को अपने क्षेत्र के स्व–निर्मित उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए स्थान आवंटित करने की पहल की है। ○ इस योजना के तहत AAI संचालित प्रत्येक हवाई अड्डे पर 100–200 वर्ग फीट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को एक–एक कर 15 दिनों की अवधि के लिए यह स्थान आवंटित किया जाएगा।
चमोली आपदा	○ वैज्ञानिक चमोली जिले (उत्तराखंड) में वर्ष 2021 की **आपदा के पीछे के कारण को समझने में सफल हुए।** ➢ वैज्ञानिकों ने पाया है कि **आपदा आने से पहले यह क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय था।** ➢ उन्हें स्व–संयोजन या स्व–संगठन के माध्यम से एक नई संरचना के गठन से पहले रॉक–आइस अलगाव के संकेत भी मिले हैं। ○ पहले यह माना जा रहा था कि इस घटना हेतु उत्तरदायी कारण **हिमनद झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood: GLOF)** है। ➢ **GLOF हिमनद के पिघलने से बनी झील से अचानक जल के प्रवाह को संदर्भित करता है।** यह किसी हिमनद के किनारे, सामने, भीतर, नीचे या सतह पर शुरू हो सकता है।
EOS-02 उपग्रह	○ केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने जानकारी दी है, कि EOS–02 को वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। ○ **EOS–02 के बारे में** ➢ यह एक **भू–प्रेक्षण उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ISRO)** विकसित कर रहा है। इसका लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) के प्रथम विमोचन के लिए परीक्षण पेलोड के रूप में विकास किया जा रहा है। ➢ इसका **कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान, लघुरूपी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स** इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ○ अन्य EOS उपग्रहों में **कृषि, वानिकी एवं आपदा प्रबंधन के लिए EOS–01, भूस्थैतिक कक्षा में प्रथम दक्ष भू–प्रेक्षण उपग्रह के रूप में EOS–03** आदि शामिल हैं।
भुवन–आधार पोर्टल	○ इस पोर्टल को विकसित करने के लिए **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और इसरो ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।** ○ भुवन आधार पोर्टल **प्राकृतिक रंग वाली उपग्रह आधारित छवियों की उच्च रिज़ॉल्यूशन पृष्ठभूमि के साथ आधार (Aadhaar) केंद्रों के लिए संपूर्ण भौगोलिक सूचना भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण और रिपोर्टिंग** की सुविधा प्रदान करेगा। ○ **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)** आधार कार्ड जारी करने के लिए प्राधिकृत है। यह आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है।
बनारसी पश्मीना	○ **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** ने वाराणसी में बनारसी पश्मीना लॉन्च किया। ○ यह **पहली बार है, जब पश्मीना उत्पादों** का उत्पादन **लेह–लद्दाख और जम्मू–कश्मीर के क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है।** ○ **चांगथांगी या पश्मीना बकरियों को** अत्यधिक महीन **कश्मीरी ऊन** के लिए पाला जाता है। इसे एक बार बुने जाने के बाद **पश्मीना** के नाम से जाना जाता है। ➢ चांगथांगी या पश्मीना बकरी **लद्दाख के बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की स्थानिक विशेष बकरी प्रजाति है।** इसका **चांगपा** नामक घुमंतू समुदायों द्वारा पालन किया जाता है। ○ कश्मीर पश्मीना को **भौगोलिक संकेतक (GI)** दर्जा प्राप्त है।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी
DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI